अत्यावश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022

पत्र संख्या–न0नि0 50–232/2022–3682

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– 7 सितम्बर, 2022

विषय :– नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 : विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से अधिसूचना निर्गत किये जायेंगे। अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो जायेगा जो मतगणना उपरान्त विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक प्रभावी रहेगा। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को निरूत्साहित किया जाय तथा उसके विरूद्ध अभी से सरकार के पास उपलब्ध वैधानिक विकल्पों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त स्थिति में यह और आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जिले में अपराधी एवं उपद्रवी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाय। यह कार्रवाई नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 संपन्न होने तक जारी रखी जाय ताकि विधि–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रह सके और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्व भागते नजर आयें।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर सक्रिय (effective)कार्रवाई करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :–

(क) विगत नगरपालिका आम निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर कब्जा एवं अन्य निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित स्थानों का मैप तैयार किया जाये।

(ख) निर्वाचन संबंधी अपराधिक मामलों का डाटाबेस तैयार किया जाये।

(ग) लंबित गैर जमानती वारंट एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाय।

(घ) संबंधित दडाधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन असामाजिक/उपद्रवी एवं अशांति पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज किया जाय तथा लगातार छापामारी भी किया जाय। Arms Act. के तहत अवैध आग्नेयाशस्त्र की जब्ती की कार्रवाई की जाय।

(च) सूचना के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के उदेश्य से अवैध रूप से वितरण किये जाने वाली नकद राशि/सामग्री की छापामारी कर जब्त करते समय यह ध्यान रखा जाये की जब्त राशि/सामग्री का संबंध निश्चित रूप से निर्वाचन से हो।

(छ) Bihar Excise (Amendment) Act 2016 का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

(ज) लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराया जाये।

(झ) यदि कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो तो चुनाव कराने हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का मैप और चुनावी हिंसा की मैंपिग तैयार कर ली जाये ताकि मतदान सुगमता से कराया जा सके।

(ञ) अन्य वैधानिक उपाय जो स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

(ट) विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन हेतु डिजिटाईज्ड प्रपत्र तैयार किये गये हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका User Manual भी पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन रूटीन रूप में नहीं लिया जाय। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन आयोग एवं पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
07/09/22
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि : आई0टी0 मनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के बेवसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

07/09/22
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निदेश का अनुश्रवण अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

07/09/22
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/09/22
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सभी जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से भी निदेश देने की कृपा की जाय।

07/09/22
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07/09/22
सचिव।